

प्रेक्षक,

अमित सिंह नेगी,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

देहरादून: दिनांक : 09 सितम्बर, 2020

विषय:- लक्षण रहित (Asymptomatic) कोविड-19 संक्रमित रोगियों के होम-आइसोलेशन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कोविड-19 संक्रमित (Corona Positive) लक्षणरहित (Asymptomatic) रोगियों को Home Isolation की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या 566/PS/Sec-H/2020, दिनांक 08 अगस्त, 2020 के द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किए गए थे, तदोपरांत शासनादेश संख्या 1320/XXVIII-I/20-01(19)2020, दिनांक 01 सितम्बर, 2020 के द्वारा 10 साल से छोटे बच्चे तथा वरिष्ठ नागरिकों के Home Isolation के सम्बन्ध में निर्देश जारी किए गए थे।

2. उपरोक्तानुसार पूर्व में निर्गत शासनादेशों को यथावत् रखते हुए अतिरिक्त रूप से गर्भवती महिलाओं को भी निम्नलिखित प्राविधान के अनुसार Home Isolation में रखे जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है:-

1. ऐसी गर्भवती महिलायें (ANC) जिन्हें कोई बीमारी (Co-Morbid) नहीं है।
2. कोविड-19 पॉजिटिव गर्भवती महिलायें, जिन्होंने स्वस्थ शिशु को जन्म दिया है (PNC) तथा वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और उन्हें अस्पताल से सामान्य रूप से Discharge किया जा सकता है, को भी Home Isolation में रखा जा सकता है।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)  
सचिव

संख्या- / पीएस / 2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के अवलोकनार्थ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मिशन निदेशक, एनएचएम, देहरादून।
5. आईडीएसपी, एनएचएम, देहरादून।
6. चीफ ऑपरेशन ऑफिसर, राज्य कोरोना नियंत्रण सैल, उत्तराखण्ड।

(डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय)  
सचिव(प्रभारी)